पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़
36 C III, ब्लॉक-II, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
Fax No. 0771-2221141, Email- dp.cg@nic.in

क्रमांक / पंचा. / 2018 / 153 नया रायपुर, दिनांक 24 / 03 / 2018

प्रति,

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत – छत्तीसगढ़

विषय :– ई–पंचायत के क्रियान्वयन में प्रगति के संबंध में।

* * *

कृपया अवगत हो, प्रदेश में शासन द्वारा संचालित योजनाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई–पंचायत का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

वर्तमान में आपके जिले के प्रशिक्षण संस्थानों (ETC/PTC/DPRC/BPRC) के समस्त संकाय सदस्यों को SIRD रायपुर तथा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अनेक बार PES अनुप्रयोगों में प्रशिक्षण दिये गये है।

साथ ही ई–पंचायत के क्रियान्वयन तथा PES अनुप्रयोगों में डाटा इन्द्राज की स्थिति में सुधार एवं निगरानी हेतु आपके जिले में RGSA योजनांतर्गत 02 पद स्वीकृत कर भर्ती प्रक्रिया दिनांक 31.01.2018 तक पूर्ण किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये है।

कृपया DPRC/BPRC के संकाय सदस्यों के माध्यम से जिला समन्यक / सहायक जिला समन्वयक, ग्राम पंचायत में पदस्थ पंचायत सचिवों का PES अनुप्रयोगों में निरंतर एवं नियमित प्रशिक्षण कराया जाकर PES अनुप्रयोगों में डाटा–एन्ट्री निरंतर रूप से किये जाये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.04.2018 से प्रदेश में PFMS लागू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत RGSA/14वें वित्त आयोग अंतर्गत समस्त निधियॉ PFMS के माध्यम से ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में सीधे ही हस्तांतरित किये जायेंगे तथा योजनांतर्गत समस्त व्यय प्रियासॉफ्ट में ऑनलाईन ही संभव होगा। यदि आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु जिला / जनपद / ग्राम पंचायतों के वार्षिक लेखा पुस्तिका को दिनांक 31.03.2018 तक बंद नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी ग्राम पंचायत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 14वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त राशि को व्यय करने में असमर्थ होंगे।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर अवगत कराने का कष्ट करें।

(तारन प्रकाश सिन्हा)
संचालक
पंचायत संचालनालय
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

पृ. क्रमांक / पंचा. / 2018 / 154 नया रायपुर, दिनांक 24 / 03 / 2018

प्रतिलिपि :–

1. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

संचालक
पंचायत संचालनालय
छत्तीसगढ़, नया रायपुर